पत्र संख्याः आई0टी0–ई0इन्वाइसिंग / 2020–21 / 775 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सहायक प्रबन्धक, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक 19.11.2020 द्वारा रू0 100 करोड़ से 500 करोड़ टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए दिनांक 01.01.2021 से E-invoicing अनिवार्य किये जाने व उक्त हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का उल्लेख करते हुए उपरोक्त सीमा से आच्छादित करदाताओं की सूची / विवरण संलग्न कर प्रेषित किया गया है। इस सूची में नोटिफाईड करदाताओं को ट्रायल पोर्टल पर टेस्टिंग के लिए enable किया गया है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले जो करदाता ट्रायल पोर्टल पर टेस्टिंग के लिए enable नहीं हैं, वह भी इस हेतु online अनुरोध कर सकते हैं। प्राप्त सूची में सूची में प्रदेश के सभी जोन के 352 खण्ड के 2791 करदाता जोनवार चिन्हित हुए है। (सूची संलग्न)

E-invoicing के लिए चिन्हित करदाताओं को आवश्यक उक्त प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम जोन के सम्बन्धित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर को मास्टर ट्रेनर नामित किया जाना है। कृपया दिनांक 10.12.2020 तक उपरोक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु चिन्हित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर्स की सूची मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 सहित आई0टी0 अनुभाग को ctithqlu-up@nic.in पर उपलब्ध कराएं जिस से उनके मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण हेतु user create किये जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किया जायेगा एवं नामित अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा–

क्रमांक	जोन	चिन्हित खण्ड जिनके डिप्टी कमिश्नर को मास्टर ट्रेनर नामित किया जाना है	प्रशिक्षण का दिनांक	प्रशिक्षण अवधि
1	2	3	4	5
1	आगरा अलीगढ अयोध्या बरेली इटावा	79	15.12.2020 (मंगलवार)	पूर्वान्ह 11 बजे से 12:30
2	गौतमबुद्धनगर गाजियाबाद–प्रथम गाजियाबाद–द्वितीय गोरखुपर झांसी	87	15.12.2020 (मंगलवार)	अपरान्ह 03:30 से 05:00
3	कानपुर–प्रथम कानपुर–द्वितीय लखनऊ–प्रथम लखनऊ–द्वितीय मुरादाबाद	86	16.12.2020 (बुधवार)	पूर्वान्ह 11 बजे से 12:30
4	मेरठ प्रयागराज सहारनपुर वाराणसी–प्रथम वाराणसी–द्वितीय	100	16.12.2020 (बुधवार)	अपरान्ह 03:30 से 05:00

मुख्यालय द्वारा नामित एवं प्रशिक्षित इन अधिकारियों द्वारा अपने अपने सेक्टर के चिन्हित उपरोक्त 2791 करदाताओं को E-invoicing के लिए दिनांक 24.12.2020 तक आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की दो फोटोग्राफ लोकेशन व दिनांक के साथ आई0टी0 अनुभाग की ई–मेल आई0डी0 ctithqlu-up@nic.in पर प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित सेक्टर की सूची एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण जोनल एडीशनल कमिश्नर की ई–मेल आई0डी0 पर भी प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।